मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 23.08.2026

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पड़री पुलिस द्वारा कुल 37 आबकारी अधिनियम के मुकदमों से सम्बन्धित 10,234.8 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार कार्यवाही करते हुए किया गया विनष्टीकरण —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा माल निस्तारण के संबंध में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांकः 23.08.2026 को थाना पड़री परिसर में थाना स्थानीय पर आबकारी अधीनियम से सम्बन्धित वर्ष 2023 का 01 अभियोग, वर्ष 2025 के 03 अभियोग व वर्ष 2026 के 33 अभियोग इस प्रकार कुल 37 अभियोगों से सम्बन्धित (अनुमानित कीमत 33 लाख 26 हजार 50 रूपये) की कुल 10,234.8 लीटर अवैध अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब को मा0न्यायालय द्वारा विनष्टीकरण का आदेश दिए जाने के उपरान्त अरविन्द कुमार पाण्डेय-नायब तहसीलदार, जटाशंकर मिश्र-क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश कुमार-आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम सदर तहसील व प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष पड़री सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की गठित टीम की उपस्थिति में उपरोक्त अवैध शराब का विनष्टीकरण कराया गया।